आखिरी जांच: 5 अक्टूबर 2026 · Social Welfare Department, Government of Jammu and Kashmir

State Marriage Assistance Scheme (SMAS) for poor girls

जम्मू-कश्मीर में गरीब परिवारों की शिक्षित अविवाहित लड़कियों को, जिनके नाम जिले की सर्वे सूची में हैं, विवाह के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है।

क्या मिल सकता है

नियम पूरे होने और धन उपलब्ध होने पर समिति लड़की को आर्थिक सहायता मंजूर कर सकती है, और राशि उसके बचत बैंक खाते में जमा की जाती है।

किसके लिए है

जम्मू-कश्मीर के गरीब परिवारों की 18 वर्ष से अधिक उम्र की अविवाहित लड़कियाँ, जिनके नाम जिले की सर्वे सूची में हैं।

मुख्य शर्तें

- लड़की जिला विकास आयुक्त या जिला समाज कल्याण अधिकारी के पास उपलब्ध सर्वे सूची में चिह्नित गरीब लड़की हो।
- उसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो।
- उसने इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य राज्य या केंद्र प्रायोजित योजना से सहायता न ली हो।
- इस योजना का लाभ वह केवल एक बार ले सकती है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://socialwelfarekashmir.jk.gov.in/State%20Marriage%20Assistance%20Scheme.html
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/jammu-and-kashmir/jk-state-marriage-assistance-poor-girls/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।